lkrok v/;k;% okfudh ,o oU; thou ¼o;½

7-1 dj i'kklu

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय पर आठ अति.प्र.मु.व.सं. एवं 16 प्र.व.सं. होते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र को छः वन वृत्तों में विभक्त किया गया है जिसके प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। इन वन वृत्तों को पुनः वनमंडलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा मैदानी कार्य में उसकी सहायता हेतु उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) एवं परिक्षेत्राधिकारी (प.अ.) होते हैं।

7-2 y[kkijh{kk ifj.kke

हमने वर्ष 2014–15 के दौरान वन विभाग की 60 ईकाईयों में से 14[1] ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की। हमने अनियमित, परिहार्य, निष्फल एवं अधिक व्यय आदि अनियिमितताओं के राशि ₹ 77.76 करोड़ के 254 प्रकरण पाये जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न rkfydk 7-1 में दिया गया है:

rkfydk 7-1

¼₹ djkM+ e½

l- Ø-	Js.kh	izdj.kks dh l[;k	jkf'k
1.	अनियमित व्यय	65	12.00
2.	परिहार्य व्यय	48	21.61
3.	निष्फल व्यय	17	17.10
4.	अधिक व्यय	58	13.46
5.	अन्य अनियमितताएं	66	13.59
	;kx	254	77-76

विभाग ने वर्ष 2014–15 के दौरान में इंगित किये गये प्रकरणों में से राशि ₹ 2.65 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 23 प्रकरणों को स्वीकार किया।

अधिक व्यय, अनियमित व्यय आदि के कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 2.19 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

[1] दो वन संरक्षक कार्यालय एवं 12 वनमंडलाधिकारी कार्यालय

7-3 iol ls gh oukPNkfnr {k= e lkxku jki.k fd;s tku d QyLo:i vfu;fer 0;;

ou foHkkx u iol ls gh oukPNkfnr {k= e lkxku jki.k gr ifj;kstuk cukdj jki.k dk dk;Z fd;k ftlds QyLo:i jkf'k ₹ 1-11 djkM+ dk vfu;fer 0;; gqvkA

वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, रायपुर द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर प्र.मु.व.सं., छत्तीसगढ़ ने 245 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च तकनीक असिंचित सागौन रोपण कार्य के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु क्रमशः राशि ₹ 1.54 करोड़ एवं ₹ 1.58 करोड़ की स्वीकृति दी (नवम्बर 2011 एवं जून 2012)। उक्त आवंटन में से वनमंडलाधिकारी ने राशि ₹ 2.53 करोड़ (दिसम्बर 2011 एवं जून 2012) वन विस्तार अधिकारी, महासमुंद ईकाई को 198.65 हेक्टेयर क्षेत्र में उपरोक्त रोपण कार्य किये जाने हेतु जारी की। इसमें से वन विस्तार अधिकारी ने महासमुंद वनमंडल के कक्ष क्रमांक 234 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य किया तथा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में राशि ₹ 1.11 करोड़ का व्यय किया।

बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों तथा महासमुंद वनमंडल की वर्ष 2011–12 से 2020–21 की अवधि की कार्य आयोजना की नमूना जांच (जुलाई 2013) में देखा गया कि वनमंडल ने 100 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.50 लाख पौधों अर्थात प्रति हेक्टेयर 2,500 पौधों का रोपण (2012–13) किया। प्रति हेक्टेयर 2,500 पौधों का रोपण (2×2 मी. के अंतराल पर) केवल खाली स्थानों पर ही संभव है। कक्ष क्रमांक 234 के कक्ष इतिहास के अनुसार कक्ष का कुल क्षेत्रफल 258.78 हेक्टेयर है जिसमें से 255.19 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.5 से 0.6 का मध्यम घनत्व का मिश्रित वन है। अग्रेतर, परियोजना प्रतिवेदन में संलग्न गूगल नक्शा इंगित करता है कि रोपण हेतु लिया गया क्षेत्र पूर्व से ही वनों से आच्छादित है। अतः, वहां 2,500 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

तथापि, विभाग ने उक्त तथ्यों को परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने तथा कार्य संपादन करते समय संज्ञान में नहीं लिया। अतः, पूर्व से ही वनों से आच्छादित क्षेत्र में सागौन रोपण पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.11 करोड़ अनियमित व्यय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि 120 हेक्टेयर की सफाई का कार्य किया गया जिससे 100 हेक्टेयर रोपण योग्य क्षेत्र प्राप्त हुआ। कक्ष में मध्यम घनत्व (0.4 से 0.5) तथा चतुर्थ ब श्रेणी का वन था। सहायक वन संरक्षक के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (जून 2015) के अनुसार रोपण सफल है तथा पौधों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कक्ष क्रमांक 234 के कक्ष इतिहास (2011–12) में उल्लिखित था कि कक्ष में चतुर्थ अ श्रेणी का 0.5 से 0.6 घनत्व का वन था एवं वहां और रोपण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतएव, 2.5 लाख सागौन पौधों के रोपण पर किया गया राशि ₹ 1.11 करोड़ का व्यय अनियमित था।

7-4 ikS/kk rS;kjh dk;Z esa foHkkx }kjk fu/kkZfjr ekudksa dk vuqikyu u fd;s tkus ls vf/kd 0;;

ou foHkkx us eujsxk ;kstuk ds vUrxZr ikS/kksa dh rS;kjh ds dk;Z esa foHkkxh; ekudksa dk vuqlj.k ugha fd;k rFkk ifj;kstuk izfrosnu vf/kd njksa ij rS;kj fd;s x;s ftlds ifj.kkeLo:i jkf'k ₹ 57-14 yk[k dk vf/kd 0;; gqvkA

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक विभाग प्रमुख अपने कार्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय नियंत्रण लागू करने तथा प्रत्येक स्तर पर व्यय में कड़ी मितव्ययिता का अनुसरण किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। वन विभाग ने पौधा तैयारी कार्य हेतु निर्धारित मानकों में सड़क किनारे रोपणों हेतु पौधों की तैयारी के लिये ₹ 10 (अक्टूबर 2010) तथा ₹ 11.50 (सितंबर 2011) प्रति पौधा की दर निर्धारित की जोकि अधिकतम थी। निःशुल्क वितरण हेतु पौधा तैयारी की विभागीय दर ₹ 11 प्रति पौधा थी।

वनमंडलाधिकारी, धमतरी के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधि बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (अगस्त 2013) हमने देखा कि विभाग द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर जिला पंचायत, धमतरी ने ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण (3.60 लाख) एवं अन्य कार्यों में उपयोग (11.40 लाख) हेतु कुल 15 लाख पौधों की तैयारी के लिये राशि ₹ 2.27 करोड़ का आवंटन दिया। विभागीय मानकों के अनुरूप पौधों की तैयारी पर अधिकतम अनुमत्य व्यय राशि ₹ 1.60 करोड़ थी। स्पष्टतः, विभाग ने मानकों का अनुसरण नहीं किया तथा अधिक दरों पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये।

अग्रेतर, हमने देखा कि विभाग ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में कुल 15 लाख पौधे तैयार कर उनका वितरण एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया तथा इस कार्य पर राशि ₹ 2.17 करोड़ का व्यय किया। अतः, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं तदानुसार कार्यों का सम्पादन करते समय विभागीय मानकों का अनुसरण न किये जाने के साथ–साथ लोक धन व्यय करने में मितव्ययिता का पालन सुनिश्चित न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका 7.2 में प्रदर्शित है:

rkfydk 7-2

¼₹ yk[k esa½

dk;Z dk uke	o"kZ	rS;kj fd;s tkus okys ikS/kksa dh l[;k	Lohd`r jkf'k@0;; jkf'k	foHkkxh; ekudksa ds vuqlkj 0;; gksus okyh jkf'k	vf/kd 0;;
निःशुल्क वितरण हेतु पौधों की तैयारी	2010–11	1.80 लाख	30.00 / 28.94	19.80	9.14
	2011–12	1.80 लाख	30.00 / 28.60	19.80	8.80
अन्य कार्यों हेतु पौधों की तैयारी	2010–11	7.20 लाख	98.40 / 97.11	72.00	25.11
	2011–12	4.20 लाख	69.09 / 62.39	48.30	14.09
;ksx		15-00 yk[k	227-49@217-04	159-90	57-14

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) कि पौधों को विभागीय मानकों के अनुरूप भी तैयार किया जा

सकता था किन्तु वे पौधे आवश्यक ऊँचाई एवं मजबूती के पौधे नहीं होते। मनरेगा के अंतर्गत अधिकतर कार्य सड़क किनारे रोपण के थे जिस हेतु सजावटी पौधों की आवश्यकता होती है तथा इनके बीज महंगे होते हैं। साथ ही, ऐसे पौधों में खाद की अधिक आवश्यकता होती है जोकि महंगी होती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन विभागीय तौर पर तथा विभागीय मानकों तथा पद्धतियों के अनुरूप ही किया जाना था। यहां तक कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी वन विभाग द्वारा दी गई थी। बल्की विभागीय दर पर तैयार किये गये पौधों का वृक्षारोपण भी सफल रहा है। विभागीय मानकों के अनुसार तैयार किये जाने वाले पौधों को भी वही सब चीजें दी जाती हैं जिनको मनरेगा के अंतर्गत तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों में प्रस्तावित किया गया था। अतः, विभागीय रूप से क्रियान्वयित हुए कार्यों में विभागीय मानकों का अनुपालन न किये जाने से राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय हुआ।

प्रकरण को शासन/विभाग के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2015), उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

7-5 foHkkx }kjk fu/kkfjr ekudk l de ik/kk dk jki.k fd; tku d dkj.k vf/kd 0;;

ifj;kstuk ifronuk dk r;kj dju rFkk jki.k dk dk; lEikfnr fd; tku d nkjku ekudk dk vuikyu u fd; tku l jkf'k ₹ 51-15 yk[k dk vf/kd 0;; gku d lkFk&lkFk de ik/kk dk jki.k gvkA

वन विभाग ने मिश्रित रोपण कार्य हेतु निम्नानुसार मानकों का निर्धारण किया (सितम्बर 2011) था:

o"k ,o jki.k xfrfof/k	fd;k tku okyk vf/kdre 0;; ¼₹ ifr gDV;j½
प्रथम वर्ष (सर्वे)	290
द्वितीय वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	16,000
तृतीय वर्ष (रोपण)	14,200

उपरोक्त मानक अधिकतम थे जिनमें 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर के रोपण के साथ–साथ क्षेत्र में सुरक्षा, सफाई तथा प्रतिकर्तन कार्य (सी.बी.ओ.) की गतिविधियां सम्मिलित थीं।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, महासमुंद की बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों, रोपण प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2013) में हमने देखा कि वनमंडल के 10 स्थलों के 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के प्रस्तावों के अनुरूप वन संरक्षक, रायपुर ने द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य हेतु क्रमशः राशि ₹ 71.90 एवं ₹ 63.81 लाख का आवंटन (अक्टूबर 2011 एवं मई 2012) किया। विभाग ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में उक्त कार्य पर राशि ₹ 1.31 करोड़ का व्यय किया। मानकों के अनुसार, 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में सुरक्षा, साफ–सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य के साथ–साथ 4.94 लाख पौधों[2] का रोपण किया जाना था।

तथापि, वनमंडल के परियोजना प्रतिवेदनों तथा रोपण प्रतिवेदन की जांच में देखा गया कि विभाग ने मात्र 265.44 हेक्टेयर में रोपण कार्य किया तथा 2.37 लाख पौधे रोपित किये। यद्यपि, सुरक्षा, साफ–सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य पूरे क्षेत्र में किया गया किन्तु

[2] 449.36 × 1,100 = 4,94,296

183.92 हेक्टेयर में कोई रोपण नहीं किया गया जैसा कि विभागीय मानकों के अनुरूप किया जाना था। इस प्रकार, 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र को 4.94 लाख पौधों के रोपण के साथ उपचारित किये जाने हेतु प्राप्त राशि का व्यय 265.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.37 लाख पौधों के रोपण में ही कर दिया गया एवं 183.92 हेक्टेयर क्षेत्र को बिना रोपण किये ही छोड़ दिया गया।

अतः, परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा कार्य सम्पादन किये जाने के समय मानकों का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 51.15 लाख[3] का अधिक व्यय हुआ और साथ ही कम संख्या में पौधों का रोपण किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (मई 2013) कि क्षेत्र तैयारी एवं सुरक्षा का कार्य 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया तथा रोपण कार्य 265.44 हेक्टेयर में किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानकों तथा स्वीकृति आदेश के अनुसार क्षेत्र तैयारी एवं सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए अन्य गतिविधियों के साथ–साथ प्रति हेक्टेयर 1,100 पौधों का रोपण किया जाना था। यदि कम क्षेत्र में अथवा पौधों का कम संख्या में रोपण किया जाना था तो उसी के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना था एवं 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर हेतु स्वीकृति दी जानी चाहिये थी।

प्रकरण को विभाग/शासन के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2015)। उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

3	कुल किया गया व्यय	=	₹ 1,31,31,646
	265.44 हेक्टेयर पर किया जाने वाला व्यय–		
	265.44 × (₹ 16,000 + ₹ 14,200)	=	₹ 80,16,288
	vf/kd 0;;	¾	₹ 51]15]358